-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ★ **लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बांदा पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्कर गिरोह का किया गया पर्दाफाश। लगभग 10 लाख रुपये कीमत के अवैध सूखे गांजे के साथ 04 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**
- ★ **तस्करों द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही टीम को जान से मारने की नियत से पुलिस टीम की गाड़ी पर चार पहिया वाहन से टक्कर मारकर भागने का किया गया था गया था प्रयास। पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल एवं निष्पक्ष रुप से सम्पन्न कराये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री गवेन्द्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 07.04.2024 को थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम थाना अतर्रा क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु भ्रमणशील थी इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 02 कारों से 04 अन्तर्राज्यीय तस्कर म0प्र0 से अवैध सूखा गांजा लाकर नरैनी से अतर्रा की ओर आ रहे है। सूचना का संज्ञान लेकर पुलिस टीम द्वारा पल्टू का पुरवा अंश पचोखर के पास घेराबंदी की गई। नरैनी की ओर से आती हुई 02 कारों में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस को देखकर हल्ला मचाते हुए कि गाड़ी पुलिस वालों पर चढ़ाकर आगे बढ़ो, रफ्तार को और तेज कर लिया। तस्करों द्वारा होण्डा सिटी कार से पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से एसओजी के सरकारी वाहन में जोर से टक्कर मार दी गई जिसमें एसओजी प्रभारी श्री अनिल कुमार साहू व कां0 चालक प्रतीक गम्भीर रुप से घायल हो गये तथा एसओजी के अन्य कर्मचारी भी घायल हो गये। पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक दोनों कारों को घेरकर रोक लिया गया। पुलिस द्वारा दोनों कारों से 60 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा तथा अवैध गांजे की बिक्री से प्राप्त 69 हजार रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभियुक्त विक्रान्त सिहं गिरोह का मुख्य सरगना है तथा वे सभी म0प्र0 से अवैध गांजा लाकर बांदा और उसके आस-पास के जनपदों में इसकी सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उनके द्वारा यह गांजे की सप्लाई की जा रही थी। घटना में प्रयुक्त दोनों कारों को सीज कर दिया गया है।

बरामदगी-

- 60 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा
- 69 हजार रुपये (अवैध गांजा बिक्री के)
- अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त 02 कार (1. होण्डा सिटी UP90Y4801 व 2. मारुति सुजुकी MP19CC5116)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरुण कुमार शिवहरे पुत्र शिवनरेश शिवहरे निवासी राजनगर कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. पद्मधर सिंह उर्फ यश उर्फ अमन सिंह पुत्र ललई सिंह निवासी गढ़ीटोला उचहरा सतना (म0प्र0)।
3. ओमकार शुक्ला पुत्र चक्रपाणी शुक्ला निवासी अतरौला मझौली सीधी (म0प्र0)।
4. विक्रान्त उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र भगवत प्रताप सिंह निवासी भवर सिंघपुर सतना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- ♦ मु0अ0सं0 77/24 धारा 307/34 भा0द0वि0 व 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अतर्रा श्री पंकज कुमार सिंह
2. प्रभारी एसओजी श्री अनिल कुमार साहू
3. चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा श्री कृष्णदेव त्रिपाठी
4. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
5. हे0कां0 संदीप कुमार
6. कां0 अरविन्द कुमार
7. कां0 कृष्णकान्त
8. कां0 अखिलेश पाण्डेय
9. कां0 अरमान अली
10. कां0 अमित त्रिपाठी
11. कां0 चालक प्रतीक
12. कां0 चालक शिव कुमार मिश्रा
13. कां0 सूर्यांशू श्रोतिय